27-07-2026

अभियुक्त सुभाष कुमार सिंहा की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(Va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 2.05.2026 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान एक मात्र अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमल नारायण पासवान, जो इस काण्ड का सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **उसके साथ अभियुक्त ने किसी प्रकार का जाति सूचक गाली गलौज नही किया और सिर्फ विद्यायल को सुचारू रूप से संचालित करने का आदेश मुझे सभी के बीच में दिया। अभियुक्त एक सक्षम और ईमानदारी पदाधिकारी है। उनके दिशा निर्देश और मार्ग दर्शन विद्यालय संचालन में औषधि के रूप में माना जाता है। अभियुक्त से वह स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी भय, दबाव का समझौता कर लिया है। वह यह मुकदमा अभियुक्तों के खिलाफ नही लड़ना चाहता है और कोई गवाह गवाही भी देना नही चाहता है।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कमल नारायण पासवान, जो इस काण्ड का सूचक एवं कथित पीड़ित है, **ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसके साथ अभियुक्त ने किसी प्रकार का जाति सूचक गाली गलौज नही किया और सिर्फ विद्यायल को सुचारू रूप से संचालित करने का आदेश मुझे सभी के बीच में दिया। अभियुक्त एक सक्षम और ईमानदारी पदाधिकारी है। उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन विद्यालय संचालन में औषधि के रूप में माना जाता है। अभियुक्त से वह स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी भय, दबाव का समझौता कर लिया है। वह यह मुकदमा अभियुक्तों के खिलाफ**

नही लड़ना चाहता है और कोई गवाह गवाही भी देना नही चाहता है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुभाष कुमार सिंहा, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इसे तथा इसके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।